राजस्थान सरकार
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

क्रमांक : एफ23(7)खा.वि./भण्डार/2024-02598-6468053 हस्ताक्षरित, दिनांक :

—: सीमित बोली :—

विभाग में राज्य कार्यों के संपादन के लिए कार्यालय में आवश्यकता के आधार पर किराये पर एक वाहन लेने के लिए दरें निर्धारित करने हेतु सीमित बोली आमंत्रित की जाती हैं। आप संलग्न निर्धारित प्रोफार्मा में उपलब्ध करवाये जाने वाले वाहन के दस्तावेज एवं दरें इत्यादि अंकित कर सीमित बोली दिनांक 29/07/25 को दोपहर 03.00 बजे तक अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में सील बन्द लिफाफे में जमा करा सकते हैं। उक्त बोली कमेटी द्वारा अगले दिवस पूर्वाह्न 11:30 बजे उपस्थित प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जावेगी।

संलग्न :— उपरोक्तानुसार।

22/7/25

अतिरिक्त खाद्य आयुक्त

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. विभागीय प्रोग्रामर को SPPP पोर्टल तथा विभागीय वेबसाईट पर डालने हेतु।
2. नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
3. रक्षा पत्रिका।

22/7/25

अतिरिक्त खाद्य आयुक्त
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग,
राजस्थान, जयपुर

—: बोली प्रपत्र :—

श्रीमान उपायुक्त (चतुर्थ),
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग,
सचिवालय, जयपुर।

विषय :— विभाग में आवश्यकता होने पर एक किराये पर वाहन उपलब्ध करवाने बाबत।

महोदय,

हमारी फर्म की दरें एवं वांछित सूचनाऐं निम्नानुसार प्रस्तुत है।

1. फर्म का नाम एवं पता:—
2. फर्म का बैंक खाता संख्या एवं बैंक ब्रांच:—
3. फर्म का पेन (PAN) नम्बर :—
4. फर्म की ई—मेल आई.डी. यदि है तो :—
5. फोन/मोबाईल नम्बर :—
6. फर्म की दरें संलग्न प्रपत्र "अ" के अन्तर्गत प्रस्तुत है।
7. फर्म का जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन नम्बर
8. यदि किसी एक्ट के अन्तर्गत रजिटेशन करवा रखा है, तो रजिस्ट्रेशन की प्रति एवं आधार कार्ड की प्रति।
9. फर्म सीमित बोली सूचना में अंकित बिन्दुओं सहित बोली (अनुबन्ध) की सभी शर्तों को स्वीकार करती है।

स्थान :—

दिनांक :—

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय सील
(फर्म प्रतिनिधि)

Om. Karina

बोली की शर्ते

1. कार्यालय में आवश्यकता होने पर किराये पर वाहन व्यक्ति/फर्म को आवश्यकतानुसार शीघ्र बुलाये जाने पर कार्यालय में अपनी उपस्थिति देनी होगी।
2. किराये पर वाहन की गुणवत्ता स्वच्छ एवं सुस्पष्ट होनी चाहिए।
3. किराये पर वाहन में गड़बड़ी होने पर (किराये पर वाहन खराब होने अथवा व्यक्ति के उपस्थित नहीं होने) या अन्य कोई कारणवश किराये पर वाहन नहीं चलने की स्थिति में वह राशि बोलीदाता से वसूल की जावेगी तथा बोलीदाता (फर्म) से पेनल्टी उसको देय भुगतान में से काटकर वसूल की जावेगी।
4. बोली दरें कार्यादेश जारी करने की तिथि से 31.03.2026 तक के लिए मान्य होंगी।
5. बोलीदाता (फर्म)/व्यक्ति किराये पर वाहन इत्यादि का कार्य करते समय होने वाली जन–धन की हानि सेवा प्रदाता द्वारा वहन की जावेगी।
6. यदि किराये पर वाहन का कार्य संतोषप्रद नहीं रहता है तो विभाग को बोलीदाता (फर्म) का अनुबन्ध निरस्त करने का अधिकार होगा।
7. फर्म को अनुमोदित दरों पर कार्य सम्पादित करना होगा तथा उक्त आदेश की दरों के अनुसार ही बिल बनाकर विभाग को प्रस्तुत करना होगा।
8. किराये का वाहन का मॉडल 6 वर्ष से अधिक पुराना नही होना चाहिए। नवीनतम मॉडल के वाहन को प्राथमिकता दी जावेगी।
9. किसी भी कानूनी विवाद के लिए जयपुर स्थित कार्यालय/न्यायालय में ही वाद प्रस्तुत किया जा सकता है।
10. यदि प्रथम पक्ष द्वारा अनुबंध अवधि से पूर्व अनुबंधित सेवाएं स्वैच्छा से समाप्त की जाती है तो दो माह पूर्व लिखित सूचना देनी होगी, एवं RTTP Rules 2013 के अनुसार कार्यवाही की जावेगी।
11. प्रथम पक्ष द्वारा कार्य के किसी भी भाग या सम्पूर्ण कार्य को किसी अन्य फर्म को सबलेट नहीं किया जा सकेगा।
12. फर्म द्वारा वाहन उपलब्ध करवाये जाने की अवधि की लॉग बुक निर्धारित प्रपत्र "ब" में भरकर प्रस्तुत करनी होगी।
13. अनुबंध की सभी शर्तों के संबंध में द्वितीय पक्ष का निर्णय अंतिम तथा बाध्यकारी होगा। अनुबंध के Execution के दौरान किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में प्रकरण Arbirtation and Conciliation Act के तहत रैफर किया जावेगा। द्वितीय पक्ष को इसके लिए Sole arbirator नियुक्त करने की पूर्ण शक्तियां प्राप्त होगी, जिसकी नियुक्ति पर आया समस्त व्यय दोनों पक्षों द्वारा समान रूप से वहन किया जावेगा।
14. दर संविदा सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों में वर्णित नियमों एवं RTPP नियम 2013के अन्तर्गत मान्य होगा।
15. बोली को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार विभाग को होगा।

Kavina

प्रपत्र– "अ"

किराये पर वाहन/टैक्सी के लिए दर अनुसूचीः–

क. सं.	वाहन का प्रकार	न्यूनतम 250 किलोमीटर तक प्रतिदिन की प्रति किलोमीटर दर	250 किलोमीटर से अधिक चलने पर प्रति किलोमीटर दर	विशेष विवरण
1.	INNOVA/समकक्ष			
2.	Maruti Dzire/समकक्ष			

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय सील

Om - Kevine

प्रपत्र–"ब"

DAILY LOG SHEET FOR HIRED TAXI VEHICLES

(To be filled and Signed in Triplicate)

Vehicle No.	Date	Duty Start Time	Reporting Place	Opening KMs. reading	Details of Journeys undertaken	Closing KMs. reading	Total KMs traveled (figures and Words)	Closing Time
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.

Vehicle require next
10.
Place :
Date :
Time :

(Signature of OIC)
11.
Name :
Date :